सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोपाल में सीलिंग अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने शनिवार को बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान शुरू कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के 25 मार्च 2026 के आदेश के अनुपालन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत शहरभर में 15 से अधिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया, जबकि 200 से अधिक व्यापारियों ने कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अपने प्रतिष्ठान स्वयं बंद कर दिए। अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकलां सहित कई इलाकों में हुई कार्रवाई के दौरान विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के 25 मार्च 2026 के उस आदेश के पालन में की जा रही है, जिसमें देश की सभी राज्य राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान कर कार्रवाई करने तथा उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश Loganathan vs. State of Tamil Nadu मामले में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने पारित किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि आवासीय क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे वहां रहने वाले लोगों को ट्रैफिक, पार्किंग, प्रदूषण, शोर और सुरक्षा जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न्यायालय ने सभी नगर निगम आयुक्तों को व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। भोपाल नगर निगम को भी आगामी सुनवाई से पहले अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

▶▶ 15 से अधिक प्रतिष्ठान सील, व्यापारी नाराज, रहवासियों ने किया स्वागत

▶▶ 4 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश होने की संभावना

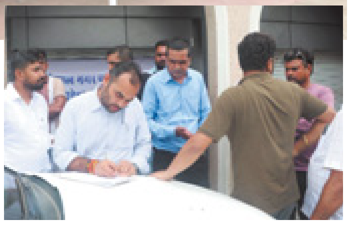

इसी क्रम में नगर निगम ने जून 2026 से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अधिकारियों के अनुसार चार चरणों में नोटिस, रिमाइंडर, समयावधि और अंतिम चेतावनी देने के बाद शनिवार से सीलिंग अभियान शुरू किया गया। अब तक शहर में 1,018 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 429 नोटिस अरेरा कॉलोनी और बावड़ियाकलां क्षेत्र, जबकि 589 नोटिस शहर के अन्य हिस्सों के लिए हैं। नगर निगम का अनुमान है कि शहर में लगभग 30 से 35 हजार ऐसे भवन हैं, जहां आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

व्यापारियों ने इस अभियान का विरोध करते हुए कहा कि वे वर्षों से व्यावसायिक दर पर संपत्ति कर, बिजली शुल्क, जीएसटी और अन्य करों का भुगतान कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वर्ष 2005 के बाद नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने से पर्याप्त व्यावसायिक भूखंड विकसित नहीं हो सके, जिसके कारण उन्हें आवासीय परिसरों से कारोबार चलाना पड़ा। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कार्रवाई को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि इतने कम समय में प्रतिष्ठान बंद करना संभव नहीं है। उन्होंने मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज) नीति लागू करने, नियमितीकरण का विकल्प देने तथा स्थायी समाधान तक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। कई व्यापारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।

दूसरी ओर अरेरा कॉलोनी सहित कई आवासीय क्षेत्रों के रहवासियों ने नगर निगम की कार्रवाई का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता पूर्णेदु शुक्ला का कहना है कि वर्षों से आवासीय कॉलोनियों में होटल, रेस्तरां, शोरूम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के कारण ट्रैफिक, पार्किंग और शोर की समस्या बढ़ गई थी, जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा था। वहीं विवेक त्रिपाठी सहित अन्य रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की जाएगी।

रहवासियों का पक्ष

- ट्रैफिक, पार्किंग, शोर और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद।
- कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन बताते हुए समर्थन।
- कार्रवाई में ढिलाई होने पर अवमानना याचिका की चेतावनी।

निगम का रुख

- सभी प्रतिष्ठानों को नियमानुसार नोटिस दिए गए।
- अभियान आगे भी जारी रहेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
- 15+ प्रतिष्ठानों पर पहले दिन सीलिंग की कार्रवाई।
- 1,018 भवन मालिकों को जारी किए जा चुके हैं नोटिस।
- 200+ व्यापारियों ने स्वयं बंद किए प्रतिष्ठान।

सीलिंग अभियान एक नजर में

क्यों हो रही कार्रवाई?

- सर्वोच्च न्यायालय के 25 मार्च 2026 के आदेश के अनुपालन में।
- आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभियान।

शनिवार की प्रमुख कार्रवाई

- शहरभर में 15 से अधिक प्रतिष्ठान सील।
- 200 से ज्यादा व्यापारियों ने कार्रवाई से पहले ही प्रतिष्ठान बंद किए।
- रोहित नगर से अभियान की शुरुआत।
- टैटू स्टूडियो, स्किन क्लीनिक, होटल, शोरूम सहित कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई।

अब तक की स्थिति

- 1,018 नोटिस जारी।
- अरेरा कॉलोनी व बावड़ियाकलां में 429 नोटिस।
- शहर के अन्य क्षेत्रों में 589 नोटिस।
- शहर में 30 से 35 हजार ऐसे भवन चिह्नित होने का अनुमान, जहां आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं।

व्यापारियों की आपत्तियां

- वर्षों से व्यावसायिक दर पर टैक्स और बिजली शुल्क जमा कर रहे हैं।
- नया मास्टर प्लान नहीं आने से व्यावसायिक भूखंडों की कमी।
- मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज) नीति लागू करने और नियमितीकरण की मांग।
- कई व्यापारी हाईकोर्ट पहुंचे।

विपक्ष के प्रदर्शन के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए सांकेतिक प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए स्थिति को नियंत्रित रखा। व्यापम चौराहे से शुरू हुआ विरोध मार्च लिंक रोड की ओर बढ़ा। पुलिस ने पहले से बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की व्यवस्था की थी। मार्च के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बनी। हालांकि पुलिस ने समय रहते हालात संभाल लिए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और आरोप लगाया कि संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर किया गया सांकेतिक प्रदर्शन करोड़ों रामभक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि इसी के विरोध में राजधानी में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में संसद परिसर पहुंचे थे। विपक्षी सांसदों के साथ उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। विपक्ष ने इसे पारदर्शिता और जांच की मांग से जुड़ा विरोध बताया था।

विंडसर कॉलोनी में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः वार्ड क्रमांक 30 स्थित चुनाभट्टी की विंडसर कॉलोनी में शनिवार को 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन विधायक भगवानदास सबनानी ने किया। इस अवसर पर सामुदायिक भवन के निर्माण से सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रवासियों को पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य लगातार तेज गति से किए जा रहे हैं तथा आने वाले समय में अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी कार्य किया जाएगा। विधायक ने वर्षा ऋतु के दौरान अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और अधिक पौधे लगाकर धरती को हरित एवं समृद्ध बनाया जा सकता है। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा के जिला महामंत्री मुकेश राय, मंडल उपाध्यक्ष प्रियेश उपाध्याय, महामंत्री विनोद प्रजापति, राजू कामले, चंद्रभान यादव, कॉलोनी अध्यक्ष अरुण पटेल, प्रियांशु सिंह, राधेश्याम विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

नीम करोली महाराज को समर्पित सजीव चित्रकला बनी आकर्षण का केंद्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के रविन्द्र भवन में शनिवार को आयोजित रंगमंच 2026 महोत्सव कला, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों का केंद्र बना। यश विजन एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की थीम रिश्ते, मूल्य और सामाजिक सरोकार रही। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण 'आर्ट ऑफ सेवा' के अंतर्गत नीम करोली महाराज को समर्पित 30 गुणा 30 फुट की सजीव चित्रकला रही, जिसका निर्माण चित्रकार इंद्रनील मजूमदार ने किया। प्रेम, सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देती इस कलाकृति का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और डॉ. धनंजय शर्मा ने किया।

इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, सुरेश पचौरी, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने कहा कि कला समाज को जोड़ने और सकारात्मक विचारों के प्रसार का प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम संयोजक सुमंत सोनी ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य कला के माध्यम से पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

डिवाइडर से टकराने के बाद सपोर्ट वायर पर अटकी कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में शनिवार सुबह एक कार सड़क किनारे बिजली के खंभे के सपोर्ट वायर पर चढ़कर अटक गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इसे लेकर तरह-तरह के दावे किए जाने लगे। कहीं इसे रील बनाने का स्टंट बताया गया तो कहीं किसी बड़ी दुर्घटना से जोड़कर प्रचारित किया गया। हालांकि पुलिस ने इन सभी दावों को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया है कि यह महज एक सड़क हादसा था। पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब सवा पांच बजे आनंद नगर स्थित आकाशवाणी कार्यालय के सामने हुई। कार चालक भोपाल से रायसेन की ओर जा रहा था। इसी दौरान बगल से गुजर रहे एक वाहन से बचने के प्रयास में कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद चालक का पैर अनजाने में त्वरक पर अधिक दब गया, जिससे कार अचानक तेज गति से आगे बढ़ी और सड़क किनारे बिजली के खंभे के सहारे के लिए लगाए गए दोहरे इस्पात वायर पर चढ़ गई। मजबूत वायर होने के कारण वह नहीं टूटा और कार उसी पर अटक गई। पुलिस ने बताया कि चालक पूरी तरह सुरक्षित है और हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित स्टंट संबंधी दावों का वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है।

गाली-गलौज और धमकी का मामला

भोपाल। छोला मंदिर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 720/2026, धारा 296ए, 115(2), 351(3) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया। फरियादी पानवती देवी की शिकायत पर नीलेश के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप दर्ज किया गया है।

दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज

भोपाल। महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 354/2026, धारा 85, 351 (2) बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। फरियादी भावना जोगी की शिकायत पर पति तरुण जोगी के खिलाफ दहेज की मांग, प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप में प्रकरण कायम कर जांच शुरू की गई है।

नवतारण भारत गैस एजेंसी पर छापा, करीब 1000 सिलेंडर जब्त, कालाबाजारी के आरोप में केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी के खिलाफ खाद्य विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। शुक्रवार को नवतारण भारत गैस एजेंसी से जुड़े कर्मचारियों को घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध आपूर्ति करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान 79 घरेलू गैस सिलेंडरों से भरा वाहन जब्त किया गया। कर्मचारियों से पूछताछ के बाद अयोध्या नगर के अरेड़ी गांव स्थित एक कथित अवैध गोदाम पर छापा मारकर 900 से अधिक सिलेंडर बरामद किए गए। कुल मिलाकर करीब 1000 गैस सिलेंडर और कई वाहन जब्त किए गए हैं।

खाद्य विभाग के अनुसार करोंद क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों को अधिक कीमत पर दुकानों में बेचे जाने की शिकायत मिली थी। सूचना के आधार पर सहायक आपूर्ति अधिकारी अशोक सत्यार्थी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। टीम को देखकर वाहन चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अधिकारियों ने उसे रोक लिया। वाहन में मौजूद कर्मचारी चंद्रपाल और मुकेश पाल सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध बिल, रसीद या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एजेंसी संचालक सहर्ष उर्फ विपुल तारण के निर्देश पर सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही थी।

जांच के दौरान अरेड़ी गांव स्थित गोदाम से भारत गैस के 550 भरे और 346 खाली घरेलू सिलेंडर, एचपी गैस के 26 सिलेंडर, इंडेन का एक सिलेंडर तथा तीन व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए गए। विभाग ने पूरे मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं कालाबाजारी के आरोप में एजेंसी संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

कार्रवाई रोकने के लिए दबाव का आरोप

खाद्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई के दौरान एजेंसी संचालक मौके पर पहुंच गया और कार्रवाई रुकवाने के लिए फोन के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अधिकारियों के अनुसार, कलेक्ट्रेट में पदस्थ एडीएम के रीडर की ओर से भी लगातार फोन आए। हालांकि विभाग ने दबाव के बावजूद कार्रवाई जारी रखी।

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने क्या कहा

जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि मौके पर पकड़े गए वाहन में रखे 79 भरे गैस सिलेंडरों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। एजेंसी संचालक भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके आधार पर सिलेंडर और वाहन जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। अब इस पूरे मामले में जांच इस बात की भी होगी कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का नेटवर्क कितने समय से चल रहा था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।

आज से शुरू हुआ प्रधानमंत्री स्वनिधि पखवाड़ा

नप्र, भोपाल : पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में एक अगस्त से 15 अगस्त तक विशेष प्रधानमंत्री स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के इस अभियान के दौरान 20 लाख नए आवेदन प्राप्त करने तथा करीब दो लाख लंबित और पूर्व में अस्वीकृत प्रकरणों का निराकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों और संबंधित जनगणना नगरों में यह अभियान मिशन स्वरूप संचालित होगा। इस वर्ष अभियान की थीम 'स्वनिधि से समृद्धि : आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर' रखी गई है। इसके तहत जनजागरूकता कार्यक्रम, विशेष शिविर, बैंक समन्वय बैठकें, हितग्राही संपर्क अभियान और डिजिटल संचार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक पात्र पथ विक्रेताओं तक योजना का लाभ पहुंच सके।

सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में चोरी का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शाहपुरा थाना पुलिस ने लक्ष्मण नगर स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में हुई चोरी का महज दो दिन में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गया शत-प्रतिशत मशरूका बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हबीबगंज, एमपी नगर और श्यामला हिल्स थाना क्षेत्रों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।

पुलिस के अनुसार 30 जुलाई को फरियादी अमित मिश्रा ने शाहपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 जुलाई की रात लक्ष्मण नगर स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर से अज्ञात चोर चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच और अन्य पूजा सामग्री चोरी कर ले गया। शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(घ) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देश तथा पुलिस उपायुक्त जोन-1 अखिल पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रश्मि अग्रवाल दुबे और सहायक पुलिस आयुक्त उमेश तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष मरकाम के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तथा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। 31 जुलाई को सूचना मिली कि शैतान सिंह चौराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-04-जेडयू-6613 के साथ खड़ा है, जिसका हुलिया सीसीटीवी में दिखाई दिए आरोपी से मेल खाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रमोद राजपूत (42) निवासी कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, भोपाल बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी गया पूरा मशरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने हबीबगंज, एमपी नगर और श्यामला हिल्स थाना क्षेत्रों में भी चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस अब इन मामलों में भी उससे पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर अन्य चोरी की वारदातों के खुलासे की भी संभावना है।

जांच | *सागर में थ्रॉटल बढ़ाने पर विमान हुआ अनियंत्रित, सिवनी में इंजन की शक्ति घटने से हुआ हादसा*

दो प्रशिक्षण विमानों की दुर्घटनाओं की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी

▶▶ अंतिम जांच के लिए डिजिटल अभिलेख और अन्य नमूने परीक्षण हेतु भेजे गए

▶▶ 48 घंटे में हुए दो विमान हादसों की वजह आई सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पिछले वर्ष दिसंबर में मध्य प्रदेश में 48 घंटे के भीतर हुई दो प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाओं की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट में दोनों घटनाओं के अलग-अलग कारण बताए गए हैं। आठ दिसंबर को सिवनी में एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जबकि 10 दिसंबर को सागर के ढाना हवाई पट्टी पर दूसरा प्रशिक्षण विमान हादसे का शिकार हो गया था। दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, सागर में प्रशिक्षण विमान उतरने के दूसरे प्रयास के दौरान निर्धारित क्षेत्र से आगे निकल गया। इसके बाद वायु यातायात नियंत्रण केंद्र से दोबारा उड़ान भरने का निर्देश दिया गया। निर्देश मिलते ही प्रशिक्षु पायलट ने थ्रॉटल बढ़ाया, जिससे विमान अचानक ऊपर उठा, संतुलन बिगड़ गया और वह हवाई पट्टी से बाहर कच्चे क्षेत्र में गिर गया।

सिवनी में प्रशिक्षण विमान के उतरने के दौरान अचानक इंजन की घूर्णन गति कम हो गई। प्रशिक्षक के निर्देशानुसार थ्रॉटल बढ़ाने के बावजूद इंजन से पर्याप्त शक्ति नहीं मिली। इसके बाद खेत में आपातकालीन अवतरण का प्रयास किया गया, लेकिन विमान बिजली के तारों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

जांच में दोनों विमानों का अनुरक्षण अभिलेख सही पाया गया है तथा उड़ान से पहले किसी तकनीकी खराबी के संकेत नहीं मिले। अंतिम कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न उपकरणों, स्मृति कार्ड, इंजन नियंत्रण इकाई, ईंधन के नमूनों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच जारी है। साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत अमेरिकी और जर्मन विमान दुर्घटना जांच एजेंसियों को भी सूचना भेजी गई है।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति
बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)

क्र./मंडी/निर्माण/26-27/409 **बैतूल, दिनांक : 31.07.2026**

निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति **बैतूल जिला बैतूल 'अ' श्रेणी 'मंडी द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत** 10 मे. टन क्षमता के स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक **2026_MPSAM_525917_1** के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें **दिनांक 03.08.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 25.08.2026 को शाम 5:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट : आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
बैतूल, जिला-बैतूल

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
बैतूल, जिला-बैतूल

म.प्र. माध्यम/127311/2026